तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 185/2023 निराणी आदि बनाम रामी आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

19/7/24

पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी एव राजपैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही आदेश दिये गये है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया गया। बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वार प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के नाम ग्राम रोही कालवारा के खसरा नम्बर 388/94 तादादी 6.3200 हैक्टेयर खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण का वर्षो पुराना कब्जाकाश्त है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि को लेकर काफी बार सीमा चिन्हो को लेकर प्रार्थीगण व पडोसीयों के बीच विवाद पैदा हो जाता है जिस कारण आपस मे मनमुटाव रहता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार समक्ष आवेदन किया तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 31.05.2023 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 09.06.2023 को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया और पटवारी द्वारा निशानदेही दी गई। जो पडौसियों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत का सीमाज्ञान करवाने के लिए पडोसीयों को कहा तो पडोसियों ने कहा कि आप अपने खेत का सीमाज्ञान हमारी मौजूदगी मे कैसे करवा सकते हो क्योंकि सही सीमाओं का चिन्हित नही होने के कारण विवाद बढ सकता है। इस कारण प्रार्थीग्ण अपने खेत का पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे किसी प्रकार का विवाद ना बढे। प्रार्थीग्ण की खातेदारी भूमि तरमीमशुदा है। जिसके अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार है। प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान करवाकर निशान दिया गया जिसको अप्रार्थीगण मानने से मना कर दिया और कहा कि हम पटवारी के सीमाज्ञान को नही मानते इस कारण विवाद बढने की संभावना है अप्रार्थीग्ण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने की चेष्टा कर रहे है। अस कारण प्रार्थीग्ण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिससे किसी प्रकार का विवाद ना बढे।। अतः वकील प्रार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र ग्राम रोही कालवास के खेत खसरा नम्बर 388/94 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी करवाने आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया गया।
राजपैरोकार द्वारा जरिये जवाब निवेदन किया गया यदि प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करवाने का आदेश दिया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नही है।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर के आदेश भू.अ./2023/370 दिनांक 31.05.2023 की पालना मे पटवार हल्का द्वारा ग्राम कालवास के खसरा नम्बर 388/94 तादादी 6.3200 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान मे सीमाचिन्ह मौके पर पहुँचकर खसरा नम्बर 103 माफी मन्दिर से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 388/94 रकबा 6.32 हैक्टेयार का मौके पर कच्चे निशान दिए गए तथा मौके पर फर्दमौका बनाया गया, पढकर सुनाया गया तथा उपस्थितजनो के अंगूठा हस्ताक्षर करवाए गए। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कालवास के खसरा नम्बर 388/94 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि के सींवजोड काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करावे । बिना विधिक प्रकिया के किसी भी काश्तकार को कब्जे से बेदखल न किया जावे। फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

([illegible] कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर